

**बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग**

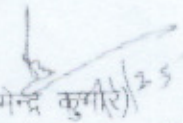
**अधिसूचना**

अधि०सं०-भवन/स्था०-०१-११ (नि०)-०४/२०२३ ३९५ (५) पटना, दिनांक- १०/११/२५

बिहार मंत्रिपरिषद् की दिनांक-१०.०१.२०२५ को आहूत बैठक की मद सं०-३६ के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में श्री संतोष कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग को उनकी सेवानिवृत्ति (सेवानिवृत्ति की तिथि-३१.१२.२०२४) के उपरान्त भवन निर्माण विभाग के अधीन सविदा के आधार पर मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य अभियंता स्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पद पर निम्न शर्तों के साथ नियोजित किया जाता है:-

- यह नियोजन योगदान की तिथि से अगले ०२ वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए किया जाता है।
- नियोजित मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के कार्य की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी एवं कार्य संतोषजनक नहीं होने पर सविदा रद्द की जा सकेगी।
- योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- श्री कुमार के सविदा अवधि में सभी पदीय शक्तियाँ (वित्तीय शक्तियाँ सहित) प्राप्त होगी।
- सविदा अवधि में श्री कुमार को आकस्मिक अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों के समान क्षतिपूर्क अवकाश भी अनुमान्य होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-१०००० दिनांक-१०.०७.२०१५ की कंडिका-३(६)(i) में निहित प्रावधान के अनुसार निर्धारित मानदेय देय होगा। कंडिका-३(६)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और सविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षित हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मानदेय का भुगतान बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा किया जायेगा।
- पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए श्री संतोष कुमार को मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के स्तर की सभी सुविधाएँ अनुमान्य होगी।

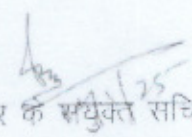
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(रमेश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- भवन/स्था०-०१-११ (नि०)-०४/२०२३ ३९५ (५) /पटना, दिनांक- १०/११/२५

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/  
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, पटना/वरीय कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन,  
बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ०पृ०उ०.....

ज्ञापांक:- भवन/स्था0-01-11 (नि0)-04/2023.....394(1)/पटना, दिनांक- 10/1/25

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/माननीय लोकायुक्त, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/निगरानी विभाग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- भवन/स्था0-01-11 (नि0)-04/2023.....394(1)/पटना, दिनांक- 10/1/25

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/सभी मुख्य वास्तुविद्/सभी उप सचिव/निदेशक, अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन कोषांग/सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित)/मुख्यालय अवस्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/श्री संतोष कुमार, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक-272 दिनांक-09.01.2025 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-10.01.2025 में मद संख्या-36 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

36. श्री संतोष कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग के दिनांक-31.12.2024 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य अभियंता स्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पद पर योगदान की तिथि से अगले 02 (दो) वर्ष तक के लिए अथवा मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य अभियंता स्तर) के पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति के संबंध में।

36 स्वीकृत।

(निशीथ वर्मा)

सरकार के अपर सचिव।  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

10/1/25

कुमार राय

D  
10/1

(राजेश कुमार सिंह)

19/1/25  
सुमन कुमार

कुमार  
10/01/2025  
850 (श्री कुमन)